रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] दिल्ली, जुलाई 20—जुलाई 26, 2012, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 29—श्रावण 4, 1934 [रा.रा.रा.क्षे. सं. 103
No. 7] DELHI, JULY 20—JULY 26, 2012, THURSDAY/ASADHA 29—SRAVANA 4, 1934 [N.C.T.D. No. 103

भाग II—I
PART II—I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 2 जून, 2012

सं. 254/स्थापना/ई-1/डी.एच.सी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 सहपठित दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1972 के नियम, 11 के द्वारा उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इस न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए, एफ. आर. 56(जे) के प्रावधानों के स्थान पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं :-

समयपूर्व सेवानिवृत्ति

तत्समय किसी नियम में कुछ भी निहित होते हुए भी मुख्य न्यायाधीश, यदि उनकी यह राय है कि ऐसा किया जाना जनहित में है, दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का अग्रिम वेतन एवं भत्ते प्रदान कर सेवानिवृत्त करने के पूर्ण अधिकारी होंगे :-

(i) पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यदि ऐसा अधिकारी/कर्मचारी अपनी अर्हक सेवा के 15 वर्ष पूर्ण कर चुका हो; या

(ii) पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यदि ऐसा अधिकारी/कर्मचारी अपनी अर्हक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, जैसी भी स्थिति हो; या

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन नहीं किया गया है, तो पुनर्विलोकन के पश्चात् किसी भी समय, जब माननीय मुख्य न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में उचित समझते हों ।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन के लिए "पुनर्विलोकन" से अभिप्राय इस न्यायालय के नियोजन में भावी प्रतिधारण के लिए ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में इस न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी की पूर्ण सेवा रिकार्ड के पुनर्विलोकन से है जो कि नियमित रूप से न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का प्रथमतः उसकी अर्हक सेवा के 15 वर्षों की समाप्ति पर द्वितीयतः उसकी अर्हक सेवा के 25 वर्षों की समाप्ति पर अथवा उसके 50 वर्षों की आयु प्राप्त करने पर, जैसी भी स्थिति हो,

अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में इस उप-नियम के खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट पुनर्विलोकन नहीं किया गया है, तो ऐसा पुनर्विलोकन किसी भी समय, जब मुख्य न्यायाधीश उपयुक्त समझें, किया जा सकता है ।

आदेशानुसार,

वी. पी. वैश्य, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd June , 2012

No. 254/Estt./E1/DHC.— In exercise of the powers vested in him by Article 229 of the Constitution of India, read with Rule 11 of Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972, the Acting Chief Justice of this Court, hereby makes the following order, in substitution of the provisions of F.R. 56(j), for the officers and servants of this Court :—

Pre-mature retirement

Notwithstanding anything contained in any rule for the time being, the Chief Justice shall, if he is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any officer or servant of Delhi High Court by giving him/her notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice :—

(i) after the review when such officer/servant completes 15 years of qualifying service; or

(ii) after the review when such officer/servant completes 25 years of qualifying service or attains the age of 50 years, as the case may be; or

(iii) if the review referred to in (i) or (ii) above has not been conducted, after the review at any other time, as the Chief Justice deems fit in respect of such person.

Explanation :— For the purpose of this rule, "review" means the review of the entire service record of the officer/servant of this Court regarding suitability or otherwise of such person for further retention in the employment of this Court, to be conducted regularly of each officer/servant of the Court, firstly, after his completion of 15 years of qualifying service, and secondly, after his completion of 25 years of qualifying service or on his attaining the age of 50 years, as the case may be, or if the review referred to in clauses (i) or (ii) of this sub-rule has not been conducted in respect of such officer/servant, such review may be conducted at any other time as the Chief Justice deems fit.

By Order,

V. P. VAISH, Registrar General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054